राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

सं.एफ.4(25)एमे/रूल/इले/लीगल/पी आर/2014/1531 जयपुर, दिनांक: 12.11.2014

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 40 का संशोधन.– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 40 के विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(1) कोई निर्वाचक, उसे जारी किया गया मतपत्र प्राप्त कर लेने पर, किसी भी एक मतदान कोष्ठ में तुरन्त जायेगा, वहां, इस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से मतपत्र के मुख भाग पर अभ्यर्थी के प्रतीक या नाम पर या नाम और प्रतीक के सामने ऐसे अभ्यर्थी के लिए निश्चित खाली स्थान में मुद्रित स्तम्भ में चिन्ह लगायेगा जिसके लिए मत देने का उसका आशय हो या उस दशा में नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) पर जिसे वह लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से किसी को मतदान नहीं करने के विकल्प का प्रयोग करने की इच्छा रखता है, चिन्ह लगायेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार से चिन्हित मतपत्र इस प्रकार मोड़ेगा कि जिससे उसका मत छिपा रह जाये और इस प्रकार मोडे हुए मतपत्र को उस मत–पेटी में डाल देगा जो रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी के सागने रखी जाये।"

3. नियम 43 का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 43 हटाया जायेगा।

4. नियम 50 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 50 के उप–नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(ii) यदि, उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के या किसी अभ्यर्थी और नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के लिए चिन्ह लगे हुए हों,"

5. नियम 52 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 52 के उप–नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग) प्ररूप 7 में निम्नलिखित उपवर्णित करते हुए एक विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा :

(i) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिन्हें नियम 29 के उप–नियम (2) के अधीन निर्विरोध निर्वाचित किया गया हो;

(ii) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिनके पक्ष में विधिमान्य मत डाले गये हैं;

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या;

(iv) नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या;

(v) अविधिमान्य के रूप में नामंजूर किये गये मतों की संख्या; और

(vi) उस लाट का परिणाम, यदि कोई हो, जो नियम 51 के अधीन निकाला गया हो।"

6. नियम 36क का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 36क के उप–नियम (3) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(ख) उस अभ्यर्थी, जिसको वह मत डालने का आशय रखता है या उस दशा में नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) पर जिसे वह लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से किसी को मतदान नहीं करने के विकल्प का प्रयोग करने की इच्छा रखता है, के नाम और प्रतीक के सामने मतदान यूनिट पर बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा।"

7. नियम 39क का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 39क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"**39क. मतपत्र का प्ररूप.**– (1) प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये ।